उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-41/2019/496/92-2-2019-93(जॉच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 26 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-67116 के सम्पर्क मार्ग आर0एस0 रोड से असनहरा के निर्माण कार्यों हेतु बोरो प्लान के सत्यापन/स्वीकृति के बिना कार्टेज की मिट्टी की दर स्वीकृत करने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वाहन न करने आदि के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-901/2018/92-2-2018-93(जॉच)/2017, दिनांक 26.04.2018 द्वारा श्री जे0पी0 वर्मा, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल, मिर्जापुर सम्प्रति परिमण्डल-इलाहाबाद को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-160/एस0टी0 /ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-सोनभद्र/2017-18, दिनांक 22.05.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-76/2018/1762/92-2-2018-93(जांच)/2017, दिनांक 11.07.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

3- जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1069/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/एस0टी0-120 पार्ट-2/2018-19, दिनांक 18.01.2019 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के संदर्भ में प्रश्नगत प्रकरण में उनके द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच एवं वर्तमान में उनके स्तर पर कार्याधिक्य होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-41/2019/496(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त कर नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी/श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल वाराणसी को प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- श्री जे0पी0 वर्मा, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल, मिर्जापुर सम्प्रति परिमण्डल-इलाहाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।